प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :– नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:– नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
2.	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू. 60.40 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	एक मात्र नजदीकी समरेखन।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज को बाजार में आवाक कर पायेगी।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	संलग्न है।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
	क) परिवारों की संख्या	नहीं।
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	हॉ।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	प्र ग पत्र संलग्न ।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्नानुसार।

दिनांक 1/12/14 स्थान पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नाम मोहर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

प्रारुप–3
भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

(i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र – उत्तराखण्ड।

(ii) जिला – पिथौरागढ़।

(iii) जिला वन प्रभाग – पिथौरागढ़।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र – 0.09 हे0 वन पंचायत, 0.729 हे0 राज्य भूमि।

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः – – 0.819 हे.

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः – संलग्न है।

(i) वन का प्रकार पंचायत व राज्य वन।

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना – संलग्न है।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा –

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण – नहीं।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : – ..... किमी0।

21. वन्य जीव की दृश्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : –

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) – ***नहीं।***

(iii) क्या किसी राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) – ***नहीं।***

(iv) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) – ***नहीं।***

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे – ***नहीं।***

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) – ***नहीं।***

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। – ***हॉ।***

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारि ा किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. **किए गए अतिकमण के ब्यौरे** :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गद किं सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नही) – ***नही।***

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नही) – ***नहीं।***

25. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। – वर्तमान में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियत्रंण में ।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। – *हाँ।*

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। – *हाँ।*

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : – ***लागू नही है।***

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृश्टिकोणों से पहचान कर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

6. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। – *हाँ।*

27. स्वीकृति ~~या अन्यथा~~ कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशें संस्तुति सहित अग्रसारित [illegible]

स्थानः पिथौरागढ़

तारीखः 23.12.2014

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन दरोगा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रारुप–4

भाग–3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ि ेक्ष ्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेक्षण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारि ों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारि ों

स्थानः तारीखः हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रतिहस्ताक्षरित
(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन दरोगा
सौड़लेख अनुभाग

वन क्षेत्र अधिकारी
दिगतोली

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.